

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

परमिट फार्म

(12 मीटर से कम ऊँचाई वाले भवनों के लिए)

परमिट संख्या.. 2033/B.F.L/3/10-11

दिनांक 04/11/11

सेवा में,

श्री/श्रीमती महेश्वरी देवी अग्रवाल, अग्रवाल
पुत्र/पुत्री श्री विवेक अग्रवाल
निवास 28/137 राजा मण्डे अग्रवाल
66 एव - डिवीजन 22

महोदय/महोदया,

भवन/भूखण्ड एच.ए. 42/138 स्थित इन्फो एंटरप्राइजेस में प्रस्तावित निर्माण कार्य जिन्हें संलग्न नक्शे में दर्शाया गया है निष्पादित किये जाने की अनुज्ञा निम्नांकित अनुबन्धों के अधीन की जाती है:-

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भूगृह में किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्राप्त होता है और न ही समाप्त होता है और न यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विधित कार्यवाही हेतु निरयोग्य अथवा विवधित करती है एवं इसमें स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भी भांति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रत्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।
3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहें सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में हो अथवा आँकड़े बालकनी छज्जा कारनिस और किसी प्रकार के प्रक्षेप रूप में हो, चाहे भले ही ऐसे प्रक्षेप भूल से इस नक्शों में दर्शा दिये गये हों, की अनुज्ञा अमान्य होगी।
4. ऐसे निर्माण कार्यों के लिये नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन प्रथक स्वीकृति अनिवार्य है। अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।
5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि वे सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करें अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करें जहां पर विद्युत तार हों, जब तक इस प्रकार लगे तार 30 प्र0 विद्युत परिषद द्वारा न हटा दिये जायें।
6. अनुज्ञापत्र के साथ संलग्न 1 एवं 2 के प्रावधानों का पालन करना होगा।
7. भवन निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।

संलग्न: स्वीकृति मानचित्र

संख्या.. 2033/B.F.L/3/10-11

प्रतिलिपि- 1. कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम, आगरा को सूचनार्थ।

2. सम्पत्ति अधिकारी, आगरा विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ।

3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, आगरा को इस आशय के साथ कि उनके द्वारा दिये गये अनापति पत्र सं0 दिनांक के सन्दर्भ में फायर के प्राविधानों को सुनिश्चित करायें।

4. प्रवर्तन अनुभाग को सूचनार्थ।

महेश्वरी देवी अग्रवाल
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

परमिट फार्म

(12 मीटर से कम ऊँचाई वाले भवनों के लिए)

परमिट संख्या 133/BFL/05/11-12

दिनांक 21/5/11

सेवा में,

श्री/श्रीमती

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

निवास

कन्दैयालाल अग्रवाल व अन्य

बाबू लाल अग्रवाल

28/137 राजा भी मंडी

आगरा

महोदय/महोदया,

भवन/भूखण्ड

01

स्थित

प्रोपर्टी नं-42/138 हलवाई की कोठी

आगरा

निर्माण कार्य जिन्हें संलग्न नक्शे में दर्शाया गया है निष्पादित किये जाने की अनुज्ञा निम्नांकित अनुबन्धों के अधीन की जाती है:-

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भूगृह में किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्राप्त होता है और न ही समाप्त होता है और न यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विधित कार्यवाही हेतु निरयोग्य अथवा विवधित करती है एवम् इसमें स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भी भांति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रत्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।

3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहें सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में हो अथवा आँकड़े बालकनी छज्जा कारनिस और किसी प्रकार के प्रक्षेप रूप में हो, चाहे भले ही ऐसे प्रक्षेप भूल से इस नक्शों में दर्शा दिये गये हों, की अनुज्ञा अमान्य होगी।

4. ऐसे निर्माण कार्यों के लिये नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन प्रथक स्वीकृति अनिवार्य है। अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।

5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि वे सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करें अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करें जहां पर विद्युत तार हों, जब तक इस प्रकार लगे तार उ0 प्र0 विद्युत परिषद द्वारा न हटा दिये जायें।

6. अनुज्ञापत्र के साथ संलग्न 1 एवं 2 के प्रावधानों का पालन करना होगा।

7. भवन निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।

संलग्न: स्वीकृति मानचित्र

संख्या.....तद् दिनांक

प्रतिलिपि-

1. कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम, आगरा को सूचनार्थ।
2. सम्पत्ति अधिकारी, आगरा विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ।
3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, आगरा को इस आशय के साथ कि उनके द्वारा दिये गये अनापत्ति पत्र सं0.....दिनांक.....के सन्दर्भ में फायर के प्राविधानों को सुनिश्चित करायें।
4. प्रवर्तन अनुभाग को सूचनार्थ।

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

परमिट फार्म

(12 मीटर से कम ऊँचाई वाले भवनों के लिए)

परमिट संख्या.....134/BFL/5/11-12

दिनांक.....21/5/11

सेवा में,

श्री/श्रीमती

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

निवास

श्री कन्हैयालाल अग्रवाल व अन्य
श्री साबूलाल अग्रवाल
28/137 राजा की मंडी
आगरा

महोदय/महोदया,

भवन/भूखण्ड

स्थित

03 प्रोपर्टी नं-44/138 इलाहाबाद की लकीरी
आगरा

में प्रस्तावित

निर्माण कार्य जिन्हें संलग्न नक्शे में दर्शाया गया है निष्पादित किये जाने की अनुज्ञा निम्नोक्त अनुबन्धों के अधीन की जाती है:-

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भूगृह में किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्राप्त होता है और न ही समाप्त होता है और न यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विधित कार्यवाही हेतु निरयोग्य अथवा विवधित करती है एवं इसमें स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भी भांति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रत्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।
3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहें सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में हो अथवा आँकड़े बालकनी छज्जा कारनिस और किसी प्रकार के प्रक्षेप रूप में हो, चाहे भले ही ऐसे प्रक्षेप भूल से इस नक्शों में दर्शा दिये गये हों, की अनुज्ञा अमान्य होगी।
4. ऐसे निर्माण कार्यों के लिये नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन प्रथक स्वीकृति अनिवार्य है। अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।
5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि वे सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करें अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करें जहां पर विद्युत तार हों, जब तक इस प्रकार लगे तार 30 प्र0 विद्युत परिषद द्वारा न हटा दिये जायें।
6. अनुज्ञापत्र के साथ संलग्न 1 एवं 2 के प्रावधानों का पालन करना होगा।
7. भवन निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।

संलग्न: स्वीकृति मानचित्र

संख्या.....तद् दिनांक

प्रतिलिपि-

1. कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम, आगरा को सूचनार्थ।
2. सम्पत्ति अधिकारी, आगरा विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ।
3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, आगरा को इस आशय के साथ कि उनके द्वारा दिये गये अनापति पत्र सं0.....दिनांक.....के सन्दर्भ में फायर के प्राविधानों को सुनिश्चित करायें।
4. प्रवर्तन अनुभाग को सूचनार्थ।

21/05/11
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

परमिट फार्म

(12 मीटर से कम ऊँचाई वाले भवनों के लिए)

परमिट संख्या.....135/BFL/05/11-12

दिनांक.....21-5-11

सेवा में,

श्री/श्रीमती

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

निवास

कन्हैया लाल ठाकुर व अन्य
बालू लाल ठाकुर
28/137 राजा की भंडी
आगरा

महोदय/महोदया,

भवन/भूखण्ड

स्थित

02 प्रोपर्टी नं- 42/138 इलाहाबाद रोड की ओर
आगरा

में प्रस्तावित निर्माण कार्य जिन्हें संलग्न नक्शे में दर्शाया गया है निष्पादित किये जाने की अनुज्ञा निम्नांकित अनुबन्धों के अधीन की जाती है:-

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भूगृह में किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्राप्त होता है और न ही समाप्त होता है और न यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विधित कार्यवाही हेतु निरयोग्य अथवा विवधित करती है एवं इसमें स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भी भांति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रत्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।
3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहें सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में हो अथवा आँकड़े बालकनी छज्जा कारनिस और किसी प्रकार के प्रक्षेप रूप में हो, चाहे भले ही ऐसे प्रक्षेप भूल से इस नक्शों में दर्शा दिये गये हों, की अनुज्ञा अमान्य होगी।
4. ऐसे निर्माण कार्यों के लिये नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन प्रथक स्वीकृति अनिवार्य है। अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।
5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि वे सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करें अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करें जहां पर विद्युत तार हों, जब तक इस प्रकार लगे तार उ0 प्र0 विद्युत परिषद द्वारा न हटा दिये जायें।
6. अनुज्ञापत्र के साथ संलग्न 1 एवं 2 के प्रावधानों का पालन करना होगा।
7. भवन निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।

संलग्न: स्वीकृति मानचित्र

संख्या.....तद दिनांक

प्रतिलिपि-

1. कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम, आगरा को सूचनार्थ।
2. सम्पत्ति अधिकारी, आगरा विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ।
3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, आगरा को इस आशय के साथ कि उनके द्वारा दिये गये अनापत्ति पत्र सं0.....दिनांक.....के सन्दर्भ में फायर के प्राविधानों को सुनिश्चित करायें।
4. प्रवर्तन अनुभाग को सूचनार्थ।

भवदीय
21/05/11
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा
कार्य विकास प्राधिकरण

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

परमिट फार्म

(12 मीटर से कम ऊँचाई वाले भवनों के लिए)

परमिट संख्या.....136/BFL/05/11-12

दिनांक.....21-5-11

सेवा में,

श्री/श्रीमती

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

निवास

कन्हैया लाल अग्रवाल व अन्य

बालूवाला अग्रवाल

28/137 राजाजी रोड

रंगपुर

महोदय/महोदया,

भवन/भूखण्ड

04- प्लॉट नं० - 42/138 हलकड़ी की बगीची

स्थित

में प्रस्तावित

निर्माण कार्य जिन्हें संलग्न नक्शे में दर्शाया गया है निष्पादित किये जाने की अनुज्ञा निम्नांकित अनुबन्धों के अधीन की जाती है:-

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भूगृह में किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्राप्त होता है और न ही समाप्त होता है और न यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विधित कार्यवाही हेतु निरयोग्य अथवा विवधित करती है एवं इसमें स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भी भांति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रत्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।

3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहें सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में हो अथवा आँकड़े बालकनी छज्जा कारनिस और किसी प्रकार के प्रक्षेप रूप में हो, चाहे भले ही ऐसे प्रक्षेप भूल से इस नक्शों में दर्शा दिये गये हों, की अनुज्ञा अमान्य होगी।

4. ऐसे निर्माण कार्यों के लिये नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन प्रथक स्वीकृति अनिवार्य है। अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।

5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि वे सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करें अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करें जहां पर विद्युत तार हों, जब तक इस प्रकार लगे तार 30 प्र० विद्युत परिषद द्वारा न हटा दिये जायें।

6. अनुज्ञापत्र के साथ संलग्न 1 एवं 2 के प्रावधानों का पालन करना होगा।

7. भवन निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।

संलग्न: स्वीकृति मानचित्र

संख्या.....तद् दिनांक

प्रतिलिपि-

1. कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम, आगरा को सूचनार्थ।
2. सम्पत्ति अधिकारी, आगरा विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ।
3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, आगरा को इस आशय के साथ कि उनके द्वारा दिये गये अनापत्ति पत्र सं०.....दिनांक.....के सन्दर्भ में फायर के प्राविधानों को सुनिश्चित करायें।
4. प्रवर्तन अनुभाग को सूचनार्थ।

भवदीया
21/05/10
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा
कायदा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

परमिट फार्म

(12 मीटर से कम ऊँचाई वाले भवनों के लिए)

परमिट संख्या.....137/BFL/05/11-12

दिनांक.....21/5/11

सेवा में,

श्री/श्रीमती

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

निवास

कन्हैया लाल अग्रवाल व अन्य

बाबू लाल अग्रवाल

28/137 राजा की मंडी

आगरा

महोदय/महोदया,

भवन/भूखण्ड

स्थित

में प्रस्तावित

निर्माण कार्य जिन्हें संलग्न नक्शे में दर्शाया गया है निष्पादित किये जाने की अनुज्ञा निम्नांकित अनुबन्धों के अधीन की जाती है:-

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भूगृह में किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्राप्त होता है और न ही समाप्त होता है और न यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विधित कार्यवाही हेतु निरयोग्य अथवा विवधित करती है एवं इसमें स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भी भांति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रत्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।
3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहें सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में हो अथवा आँकड़े बालकनी छज्जा कारनिस और किसी प्रकार के प्रक्षेप रूप में हो, चाहे भले ही ऐसे प्रक्षेप भूल से इस नक्शों में दर्शा दिये गये हों, की अनुज्ञा अमान्य होगी।
4. ऐसे निर्माण कार्यों के लिये नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन प्रथक स्वीकृति अनिवार्य है। अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।
5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि वे सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करें अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करें जहां पर विद्युत तार हों, जब तक इस प्रकार लगे तार उ0 प्र0 विद्युत परिषद द्वारा न हटा दिये जायें।
6. अनुज्ञापत्र के साथ संलग्न 1 एवं 2 के प्रावधानों का पालन करना होगा।
7. भवन निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।

संलग्न: स्वीकृति मानचित्र

संख्या.....तद् दिनांक

प्रतिलिपि-

1. कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम, आगरा को सूचनार्थ।
2. सम्पत्ति अधिकारी, आगरा विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ।
3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, आगरा को इस आशय के साथ कि उनके द्वारा दिये गये अनापत्ति पत्र सं0.....दिनांक.....के सन्दर्भ में फायर के प्राविधानों को सुनिश्चित करायें।
4. प्रवर्तन अनुभाग को सूचनार्थ।

भवदीय
21/5/11
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा
आगरा विकास प्राधिकरण

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

परमिट फार्म

(12 मीटर से कम ऊँचाई वाले भवनों के लिए)

परमिट संख्या.....

138/BFL/05/11-12

दिनांक.....

21/5/11

सेवा में,

श्री/श्रीमती

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

निवास

कन्हैयालाल अग्रवाल व अन्य

श्री बाबूलाल अग्रवाल

29/137 राजाजी मंडी

आगरा

महोदय/महोदया,

06 प्रोपर्टी नं-42/138 हल्कई की बंगला आगरा

भवन/भूखण्ड

स्थित

में प्रस्तावित

निर्माण कार्य जिन्हें संलग्न नक्शे में दर्शाया गया है निष्पादित किये जाने की अनुज्ञा निम्नोक्त अनुबन्धों के अधीन की जाती है:-

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भूगृह में किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्राप्त होता है और न ही समाप्त होता है और न यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विधित कार्यवाही हेतु निरयोग्य अथवा विवधित करती है एवं इसमें स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भी भांति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रत्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।
3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहें सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में हो अथवा आँकड़े बालकनी छज्जा कारनिस और किसी प्रकार के प्रक्षेप रूप में हो, चाहे भले ही ऐसे प्रक्षेप भूल से इस नक्शों में दर्शा दिये गये हों, की अनुज्ञा अमान्य होगी।
4. ऐसे निर्माण कार्यों के लिये नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन प्रथक स्वीकृति अनिवार्य है। अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।
5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि वे सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करें अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करें जहां पर विद्युत तार हों, जब तक इस प्रकार लगे तार 30 प्रो विद्युत परिषद द्वारा न हटा दिये जायें।
6. अनुज्ञापत्र के साथ संलग्न 1 एवं 2 के प्रावधानों का पालन करना होगा।
7. भवन निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।

संलग्न: स्वीकृति मानचित्र

संख्या.....तद् दिनांक

प्रतिलिपि-

1. कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम, आगरा को सूचनार्थ।
2. सम्पत्ति अधिकारी, आगरा विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ।
3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, आगरा को इस आशय के साथ कि उनके द्वारा दिये गये अनापति पत्र सं०.....दिनांक.....के सन्दर्भ में फायर के प्राविधानों को सुनिश्चित करायें।
4. प्रवर्तन अनुभाग को सूचनार्थ।

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

परमिट फार्म

(12 मीटर से कम ऊँचाई वाले भवनों के लिए)

परमिट संख्या.....138/BFL/05/11-12

दिनांक.....21-5-11

सेवा में,

श्री/श्रीमती

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

निवास

कन्हैयालाल अग्रवाल व अन्य

आबू लाल अग्रवाल

28/137 राजा जी कंठी

आगरा

महोदय/महोदया,

भवन/भूखण्ड

स्थित

में प्रस्तावित

निर्माण कार्य जिन्हें संलग्न नक्शों में दर्शाया गया है निष्पादित किये जाने की अनुज्ञा निम्नोक्त अनुबन्धों के अधीन की जाती है:-

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भूगृह में किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्राप्त होता है और न ही समाप्त होता है और न यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विधित कार्यवाही हेतु निरयोग्य अथवा विवधित करती है एवम् इसमें स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भी भांति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रत्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।
3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहें सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में हो अथवा आँकड़े बालकनी छज्जा कारनिस और किसी प्रकार के प्रक्षेप रूप में हो, चाहे भले ही ऐसे प्रक्षेप भूल से इस नक्शों में दर्शा दिये गये हों, की अनुज्ञा अमान्य होगी।
4. ऐसे निर्माण कार्यों के लिये नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन प्रथक स्वीकृति अनिवार्य है। अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।
5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि वे सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करें अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करें जहां पर विद्युत तार हों, जब तक इस प्रकार लगे तार 30 प्र0 विद्युत परिषद द्वारा न हटा दिये जायें।
6. अनुज्ञापत्र के साथ संलग्न 1 एवं 2 के प्रावधानों का पालन करना होगा।
7. भवन निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।

संलग्न: स्वीकृति मानचित्र

संख्या.....तद् दिनांक

प्रतिलिपि-

1. कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम, आगरा को सूचनार्थ।
2. सम्पत्ति अधिकारी, आगरा विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ।
3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, आगरा को इस आशय के साथ कि उनके द्वारा दिये गये अनापत्ति पत्र सं0.....दिनांक.....के सन्दर्भ में फायर के प्राविधानों को सुनिश्चित करायें।
4. प्रवर्तन अनुभाग को सूचनार्थ।

भवदीय
21/05/11
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

परमिट फार्म

(12 मीटर से कम ऊँचाई वाले भवनों के लिए)

परमिट संख्या.....140/BFL/5/11-12

दिनांक.....21-5-11

सेवा में,

श्री/श्रीमती

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

निवास

कन्हैया लाल अग्रवाल व अन्य

श्री/श्रीमती अग्रवाल

29/137 राजा जी भंडी

आगरा

महोदय/महोदया,

भवन/भूखण्ड

स्थित

में प्रस्तावित

निर्माण कार्य जिन्हें संलग्न नक्शे में दर्शाया गया है निष्पादित किये जाने की अनुज्ञा निर्मांकित अनुबन्धों के अधीन की जाती है:-

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भूगृह में किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्राप्त होता है और न ही समाप्त होता है और न यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विधित कार्यवाही हेतु निरयोग्य अथवा विवधित करती है एवं इसमें स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भी भांति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रत्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।

3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहें सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में हो अथवा आँकड़े बालकनी छज्जा कारनिस और किसी प्रकार के प्रक्षेप रूप में हो, चाहे भले ही ऐसे प्रक्षेप भूल से इस नक्शों में दर्शा दिये गये हों, की अनुज्ञा अमान्य होगी।

4. ऐसे निर्माण कार्यों के लिये नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन प्रथक स्वीकृति अनिवार्य है। अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।

5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि वे सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करें अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करें जहां पर विद्युत तार हों, जब तक इस प्रकार लगे तार उ0 प्र0 विद्युत परिषद द्वारा न हटा दिये जायें।

6. अनुज्ञापत्र के साथ संलग्न 1 एवं 2 के प्रावधानों का पालन करना होगा।

7. भवन निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।

संलग्न: स्वीकृति मानचित्र

संख्या.....तद् दिनांक

प्रतिलिपि-

1. कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम, आगरा को सूचनार्थ।
2. सम्पत्ति अधिकारी, आगरा विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ।
3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, आगरा को इस आशय के साथ कि उनके द्वारा दिये गये अनापत्ति पत्र सं0.....दिनांक.....के सन्दर्भ में फायर के प्राविधानों को सुनिश्चित करायें।
4. प्रवर्तन अनुभाग को सूचनार्थ।

भवदीय
21/05/11
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा
आगरा विकास प्राधिकरण

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा